



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर  
जिला-सवाई माधोपुर



**\* जाति प्रमाण-पत्र \***

क्रमांक RJ10/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/22593  
दिनांक 28-09-2016

आवेदक का आधार नम्बर : NA

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी अभिलाषा मीना पुत्री लक्ष्मी नारायण मीना गांव/नगर 3/74, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर जिला/डिवाीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधार (संघोद्यम) अधिनियम 1956, सम्पूर्ण पुनर्गठन अधिनियम 1960, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1966, विभाजन अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोद्यम) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोद्यम) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (असमिया तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1959, संविधान (आंदhra तथा तमिल नाडु) अनुसूचित जाति अधिनियम 1962, संविधान (आंध्र तथा तमिल नाडु) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1962, संविधान (राजस्थान) अनुसूचित जाति अधिनियम 1964, संविधान (राजस्थान) अनुसूचित जनजाति (असमिया) अधिनियम 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति अधिनियम 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी अभिलाषा मीना गांव/नगर 3/74, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर जिला/डिवाीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एस जे ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

Signature

Digitally signed by  
NATHMAL DUBEJ  
Date: 2016.09.28  
05:57:45 +05'30'  
Reason: SCM  
Location: Rajasthan



1610074610086211

15066503